बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक प्र010 / ख0वि0अधि0– 04 / 2014 खंड –1 1379 खाद्य, पटना / दिनांक– 25.02.16

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों द्वारा दूसरे जिले में धारित भूमि पर उपजाये गये धान की बिक्री किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं विभागीय पत्र सं0 – 9004, दिनांक 01.12.2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उपर्युक्त विभागीय पत्र द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2015–16 में धान अधिप्राप्ति के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश देते हुए खेती करने वाले किसानों का पहचान पत्र प्राप्त कर उनका निबंधन किये जाने के पश्चात प्रत्येक किसान से अधिकतम 100 क्वी0 धान खरीदे जाने का निर्देश दिया गया था।

विदित हो कि खरीफ विपणन मौसम 2015–16 हेतु धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रक्रियाधीन है और इसकी विडियो कॉन्फ्रेसिंग के द्वारा की जाने वाली समीक्षा में कतिपय जिलों द्वारा जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले किसानों की भूमि जो दूसरे जिले के क्षेत्राधिकार में पड़ता है, का धान खरीदे जाने के संबंध में मार्गदर्शन देने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में राज्य के नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा भी इस संदर्भ में मार्गदर्शन देने का अनुरोध किया गया है।

विडियो कॉन्फ्रेसिंग में जिला पदाधिकारियों द्वारा विषयांकित मामले में उठाये गये मामले की समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया है, कि **''वैसे किसान जिनकी जमीन उनके निवास स्थल के पैक्स एवं प्रखंड से बाहर दूसरे प्रखंड एवं जिले में होगी, उनकी धारित जमीन को समेकित कर 100 क्वीं0 धान का क्रय उसी पैक्स से की जाएगी, जहाँ वे निवास करते रहे हो एवं निबंधित हो ''।**

अतः अनुरोध है उपर्युक्त निर्णय के आलोक में किसानों से ध्यान अधिप्राप्ति सुनिश्चित किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि खरीफ विपणन मौसम 2015–16 हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

विश्वासभाजन,
25/2/2016
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र010 / ख0वि0अधि0– 04 / 2014 खंड –1 1379 खाद्य, पटना / दिनांक– 25.02.16

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / सभी उप निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उनके पत्रांक– 2066 दिनांक– 16.02.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/2/2016
सरकार के सचिव।